



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2032]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932

No. 2032]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2010

का.आ. 2392(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 जुलाई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1800(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "20-8-2010" अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "20-11-2010" अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सी.एल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1800(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1679(अ), तारीख 15 जुलाई द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2010

S.O. 2392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 1800(E), the 21st July, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, of same date, namely :—

In the said notification, for the figures "20-8-2010" wherever they occur, the figures "20-11-2010" shall be substituted.

2. This notification shall taken effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F.No. 1/5/2001-C.L.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1800(E), dated 21st July, 2009 and last amended vide number S.O. 1679(E), dated 15th July, 2010